रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231635
CG-DL-E-06122021-231635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943
No. 359] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 23/21/2021-आरएंडआर.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) में किसी क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड के स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख तथा चण्डीगढ़ को शामिल करते हुए उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) की स्थापना करती है:-

i. सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

ii. केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।

iii. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी।

iv. क्षेत्र के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन/पारेषण/वितरण कार्य कर रही संस्थाओं में से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।

v. इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

vi. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।

(viक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का, संचालन करता है।

vii. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।

(viiक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः-कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा-पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

viii. सदस्य सचिव, एनआरपीसी - संयोजक।

जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व रोटेशन द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, जहां प्रतिनिधि भी कार्यकारी निदेशक के स्तर का भी हो सकता है, संबंधित संगठनों का प्रतिनिधि या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम वह व्यक्ति हो जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड के निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

4. एनआरपीसी का अध्यक्ष वर्णानुक्रम क्रम में रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस विशेष राज्य से एनआरपीसी के सदस्य अपने में से एनआरपीसी के अध्यक्ष को नामित करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

1. ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।
2. विद्युत के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।
3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।

   3क- संबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना।
5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की योजना बनाना।
6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालन आयोजना अध्ययन करना।
7. प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।
8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

7. जैसा कि एनआरएलडीसी को समिति के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए निरूपित किया जाएगा, एनआरएलडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के शेड्यूलिंग तथा प्रेषण के संबंध में सर्वसम्मति से प्राप्त समिति के निर्णयों का पालन केंद्रीय आयोग के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाएगा।

8. इस समिति का अपना एक सचिवालय होगा जिसकी अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव करेंगे। सचिवालय के लिए सदस्य सचिव के साथ अन्य कर्मचारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस तरीके से साथ-उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि पूर्ववर्ती पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया जा रहा था।

9. समिति अपनी बैठक के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों के लिए कार्य के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

10. समिति अपनी उपसमितियों-, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है, जिसे कुशल कामकाज के लिए आवश्यक समझा जाए। यह विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर सलाह देने के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह ता है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधि का स्तर संबंधित मुद्दों की प्रकृति पर निर्भर समितियां भी स्थापित कर सक / करेगा।

11. एनआरपीसी की महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी। उप समितियों, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और एनआरपीसी की स्थायी समितियों की आवश्यकता पड़ने पर बैठक हो सकती है।

12. यह संकल्प प्रधान संकल्प दिनांक 25 मई, 2005 और तदन्तर संशोधनों दिनांक 29 नवंबर, 2005, 9 मई, 2008, 5 मई, 2017 और 21 दिसंबर, 2017 का अधिक्रमण करता है।

13. यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 2021

F. No. 23/21/2021-R&R.—Sub-section (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages the establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the RPC of the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Northern Regional Power Committee (NRPC) comprising the States of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand and the Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh and Chandigarh with the following members:-

i. Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority (CEA).

ii. One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), Central Government owned Transmission Company, National Load Despatch Centre (NLDC) and the Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC).

iii. From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

iv. From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/ transmission/ distribution of electricity in the Union Territory.

v. A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

vi. A representative of the generating companies having power plants in the region (not covered in (ii) to (v) above) by alphabetical rotation.

(via) A representative of one private transmission licensee, nominated by Central Government, operating the Inter State Transmission System, by alphabetical rotation out of such Transmission Licensee operating in the region.

vii. One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viia) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

viii. Member Secretary, NRPC – Convenor

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

4. Chairperson of the NRPC would represent the States/UTs of the region by rotation in alphabetical order. Members of the NRPC from that particular State would nominate the Chairperson of NRPC from amongst themselves. The term of the Chairperson would be for a period of one year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

1. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
2. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
3. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

   3A- To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned RPC. The views of RPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.
4. To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.
5. To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.
6. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
7. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
8. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As NRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by NRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Northern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its Sub-committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees, as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups / Committees of eminent experts to advise it on issues of specific nature. The level of the representative to the Sub Committees etc would depend on the nature of the issue concerned.

11. The NRPC shall meet at least once in a month. Sub Committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees of the NRPC could meet as and when required.

12. This Resolution supersedes the Principal Resolution dated 25th May, 2005 and subsequent amendments dated 29th November 2005, 9th May 2008, 5th May 2017 and 21st December 2017.

13. This resolution shall come into force from the date of publication in the Gazette.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) में किसी क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड के स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों और दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (डब्ल्यूआरपीसी) की स्थापना करती है:-

i. सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

ii. केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।

iii. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी।

iv. क्षेत्र के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन/पारेषण/वितरण कार्य कर रही संस्थाओं में से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।

v. इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

vi. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।

(viक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का, संचालन करता है।

vii. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।

(viiक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः-कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा-पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

viii. सदस्य सचिव, डब्ल्यूआरपीसी - संयोजक।

जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व रोटेशन द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, जहां प्रतिनिधि भी कार्यकारी निदेशक के स्तर का भी हो सकता है, संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम वह व्यक्ति हो जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड के निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

4. डब्ल्यूआरपीसी का अध्यक्ष वर्णानुक्रम क्रम में रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस विशेष राज्य से डब्ल्यूआरपीसी के सदस्य अपने में से डब्ल्यूआरपीसी के अध्यक्ष को नामित करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

1. ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।

2. विद्युत के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।

3क- संबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना।

5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की आयोजना बनाना।

6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालनात्मक आयोजना अध्ययन करना।

7. प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।

8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

7. जैसाकि डब्ल्यूआरएलडीसी को समिति के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए निरूपित किया जाएगा, डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के शेड्यूलिंग तथा प्रेषण के संबंध में सर्वसम्मति से प्राप्त समिति के निर्णयों का पालन केंद्रीय आयोग के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाएगा।

8. इस समिति का अपना एक सचिवालय होगा जिसकी अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव करेंगे। सचिवालय के लिए सदस्य सचिव के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस तरीके से-उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि पूर्ववर्ती पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया जा रहा था।

9. समिति अपनी बैठक के संचालन और अन्य संबंधित मामलों के लिए कार्य के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

10. समिति अपनी उपसमितियों-, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है, जिसे कुशल कामकाज के लिए आवश्यक समझा जाए। यह विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर सलाह देने के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह समितियां भी स्थापित कर सकता है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधि का स्तर संबंधित मुद्दों की प्रकृति पर निर्भर/ करेगा।

11. डब्ल्यूआरपीसी की महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी। उप समितियों, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और डब्ल्यूआरपीसी की स्थायी समितियों की आवश्यकता पड़ने पर बैठक हो सकती है।

12. यह संकल्प प्रधान संकल्प दिनांक 25 मई, 2005 और तदन्तर संशोधनों दिनांक 29 नवंबर, 2005, 9 मई, 2008, 5 मई, 2017 और 21 दिसंबर, 2017 का अधिक्रमण करता है।

13. यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 2021

F.No. 23/21/2021-R&R .—Sub-section (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages the establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the RPC of the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Western Regional Power Committee (WRPC) comprising the States of Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa and the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu with the following members:-

i. Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority (CEA).

ii. One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), Central Government owned Transmission Company, National Load Despatch Centre (NLDC) and the Western Regional Load Despatch Centre (WRLDC).

iii. From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

iv. From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/transmission/ distribution of electricity in the Union Territory.

v. A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

vi. A representative of the generating companies having power plants in the region (not covered in (ii) to (v) above) by alphabetical rotation.

(via) A representative of one private transmission licensee, nominated by Central Government, operating the Inter State Transmission System, by alphabetical rotation out of such Transmission Licensee operating in the region.

vii. One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viia) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

viii. Member Secretary, WRPC – Convenor

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

4. Chairperson of the WRPC would represent the States/UTs of the region by rotation in alphabetical order. Members of the WRPC from that particular State would nominate the Chairperson of WRPC from amongst themselves. The term of the Chairperson would be for a period of one year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

1. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
2. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
3. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

3A- To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned RPC. The views of RPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.

4. To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.
5. To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.
6. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
7. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
8. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As WRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by WRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Western Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its Sub-committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees, as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups / Committees of eminent experts to advise it on issues of specific nature. The level of the representative to the Sub Committees etc would depend on the nature of the issue concerned.

11. The WRPC shall meet at least once in a month. Sub Committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees of the WRPC could meet as and when required.

12. This Resolution supersedes the Principal Resolution dated 25th May, 2005 and subsequent amendments dated 29th November 2005, 9th May 2008, 5th May 2017 and 21st December 2017.

13. This resolution shall come into force from the date of publication in the Gazette.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) में किसी क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड के स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति (एसआरपीसी) की स्थापना करती है:-

i. सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
ii. केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एसआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।
iii. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी।

iv. क्षेत्र के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन/पारेषण/वितरण कार्य कर रही संस्थाओं में से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।

v. इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

vi. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।

(viक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का, संचालन करता है।

vii. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।

(viiक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः-कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा-पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

viii. सदस्य सचिव, एसआरपीसी - संयोजक।

जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व रोटेशन द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, जहां प्रतिनिधि भी कार्यकारी निदेशक के स्तर का भी हो सकता है, संबंधित संगठनों का प्रतिनिधि या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम वह व्यक्ति हो जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड के निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

4. एसआरपीसी का अध्यक्ष वर्णानुक्रम क्रम में रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस विशेष राज्य से एसआरपीसी के सदस्य अपने में से एसआरपीसी के अध्यक्ष को नामित करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

1. ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।

2. विद्युत के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।

3क- संबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना।

5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की आयोजना बनाना।

6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालनात्मक आयोजना अध्ययन करना।

7. प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।

8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

7. जैसा कि एसआरएलडीसी को समिति के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए निरूपित किया जाएगा, एसआरएलडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के शेड्यूलिंग तथा प्रेषण के संबंध में सर्वसम्मति से प्राप्त समिति के निर्णयों का पालन केंद्रीय आयोग के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाएगा।

8. इस समिति का अपना एक सचिवालय होगा जिसकी अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव करेंगे। सचिवालय के लिए सदस्य सचिव के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उस तरीके से-उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि पूर्ववर्ती दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया जा रहा था।

9. समिति अपनी बैठक के संचालन और अन्य संबंधित मामलों के लिए कार्य के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

10. समिति अपनी उपसमितियों-, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है, जिसे कुशल कामकाज के लिए आवश्यक समझा जाए। यह विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर सलाह देने के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह समितियां भी स्थापित कर सकता है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधि का स्तर संबंधित मुद्दों की प्रकृति पर निर्भर / करेगा।

11. एसआरपीसी की महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी। उप समितियों, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और एसआरपीसी की स्थायी समितियों की आवश्यकता पड़ने पर बैठक हो सकती है।

12. यह संकल्प प्रधान संकल्प दिनांक 25 मई, 2005 और तदन्तर संशोधनों दिनांक 29 नवंबर, 2005, 9 मई, 2008, 5 मई, 2017 और 21 दिसंबर, 2017 का अधिक्रमण करता है।

13. यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 2021

F.No. 23/21/2021-R&R.—Sub-section (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages the establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the RPC of the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Southern Regional Power Committee (SRPC) comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and the Union Territory of Puducherry with the following members:-

i. Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority (CEA).

ii. One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), Central Government owned Transmission Company, National Load Despatch Centre (NLDC) and the Sourthern Regional Load Despatch Centre (SRLDC).

iii. From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

iv. From each of the Union Territories in the region, a representative nominated by the administration of the Union Territory concerned out of the entities engaged in generation/ transmission/ distribution of electricity in the Union Territory.

v. A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

vi. A representative of the generating companies having power plants in the region (not covered in (ii) to (v) above) by alphabetical rotation.

(via) A representative of one private transmission licensee, nominated by Central Government, operating the Inter State Transmission System, by alphabetical rotation out of such Transmission Licensee operating in the region.

vii. One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(viia) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

viii. Member Secretary, SRPC – Convenor

Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

4. Chairperson of the SRPC would represent the States/UTs of the region by rotation in alphabetical order. Members of the SRPC from that particular State would nominate the Chairperson of SRPC from amongst themselves. The term of the Chairperson would be for a period of one year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

1. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
2. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
3. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

   3A- To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned RPC. The views of RPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.

4. To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.
5. To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.
6. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
7. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
8. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As SRLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by SRLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Southern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its Sub-committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees, as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups / Committees of eminent experts to advise it on issues of specific nature. The level of the representative to the Sub Committees etc would depend on the nature of the issue concerned.

11. The SRPC shall meet at least once in a month. Sub Committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees of the SRPC could meet as and when required.

12. This Resolution supersedes the Principal Resolution dated 25th May, 2005 and subsequent amendments dated 29th November 2005, 9th May 2008, 5th May 2017 and 21st December 2017.

13. This resolution shall come into force from the date of publication in the Gazette.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) में किसी क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड के स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (ईआरपीसी) की स्थापना करती है:-

i. सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

ii. केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (ईआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।

iii. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी।

iv. इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

v. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।

(vक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का, संचालन करता है।

vi. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।

(viक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः-कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा-पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

vii. सदस्य सचिव, ईआरपीसी - संयोजक।

जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व रोटेशन द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, जहां प्रतिनिधि भी कार्यकारी निदेशक के स्तर का भी हो सकता है संबंधित संगठनों का प्रतिनिधि या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम वह व्यक्ति हो जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड के निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

4. ईआरपीसी का अध्यक्ष वर्णानुक्रम क्रम में रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस विशेष राज्य से ईआरपीसी के सदस्य अपने में से ईआरपीसी के अध्यक्ष को नामित करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

1. ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।

2. विद्युत के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।

3क- संबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना।

5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की आयोजना बनाना।

6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालनात्मक आयोजना अध्ययन करना।

7. प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।

8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

7. जैसाकि ईआरएलडीसी को समिति के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए निरूपित किया जाएगा, ईआरएलडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के शेड्यूलिंग और प्रेषण के संबंध में सर्वसम्मति से प्राप्त समिति के निर्णयों का पालन केंद्रीय आयोग के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाएगा।

8. इस समिति का अपना एक सचिवालय होगा जिसकी अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव करेंगे। सचिवालय के लिए सदस्य सचिव के साथ रा उस तरीके सेसाथ अन्य कर्मचारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वा-उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि पूर्ववर्ती पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया जा रहा था।

9. समिति अपनी बैठक के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों के लिए कार्य के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

10. समिति अपनी उपसमितियों-, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है, जिसे कुशल कामकाज के लिए आवश्यक समझा जाए। यह विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर सलाह देने के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूहद्दों की प्रकृति पर निर्समितियां भी स्थापित कर सकता है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधि का स्तर संबंधित मु/भर करेगा।

11. ईआरपीसी की महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी। उप समितियों, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और ईआरपीसी की स्थायी समितियों की आवश्यकता पड़ने पर बैठक हो सकती है।

12. यह संकल्प प्रधान संकल्प दिनांक 25 मई, 2005 और तदन्तर संशोधनों दिनांक 29 नवंबर, 2005, 9 मई, 2008, 5 मई, 2017 और 21 दिसंबर, 2017 का अधिक्रमण करता है।

13. यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 2021

F.No. 23/21/2021-R&R.—Sub-section (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages the establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the RPC of the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the Eastern Regional Power Committee (ERPC) comprising the States of Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim with the following members:-

i. Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority (CEA).

ii. One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), Central Government owned Transmission Company, National Load Despatch Centre (NLDC) and the Eastern Regional Load Despatch Centre (ERLDC).

iii. From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

iv. A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

v. A representative of the generating companies having power plants in the region (not covered in (ii) to (iv) above) by alphabetical rotation.

(va) A representative of one private transmission licensee, nominated by Central Government, operating the Inter State Transmission System, by alphabetical rotation out of such Transmission Licensee operating in the region.

vi. One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(via) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

vii. Member Secretary, ERPC – Convenor. Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

4. Chairperson of the ERPC would represent the States of the region by rotation in alphabetical order. Members of the ERPC from that particular State would nominate the Chairperson of ERPC from amongst themselves. The term of the Chairperson would be for a period of one year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

1. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
2. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
3. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

   3A- To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned RPC. The views of RPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.

4. To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.
5. To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.
6. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
7. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
8. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As ERLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by ERLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile Eastern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its Sub-committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees, as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups / Committees of eminent experts to advise it on issues of specific nature. The level of the representative to the Sub Committees etc would depend on the nature of the issue concerned.

11. The ERPC shall meet at least once in a month. Sub Committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees of the ERPC could meet as and when required.

12. This Resolution supersedes the Principal Resolution dated 25th May, 2005 and subsequent amendments dated 29th November 2005, 9th May 2008, 5th May 2017 and 21st December 2017.

13. This resolution shall come into force from the date of publication in the Gazette.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) में किसी क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के एक संकल्प द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गई है।

2. अधिनियम की धारा 29 (4) में आगे प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर उस क्षेत्र में समेकित ग्रिड के स्थिरता एवं निर्बाध प्रचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता व दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमति प्रदान कर सकती है।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की स्थापना करती है:-

i. सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

ii. केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनईआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।

iii. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी।

iv. इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

v. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।

(vक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का, संचालन करता है।

vi. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।

(viक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः-कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा-पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।

vii. सदस्य सचिव, एनईआरपीसी - संयोजक।

जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व रोटेशन द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, जहां प्रतिनिधि भी कार्यकारी निदेशक के स्तर का भी हो सकता है संबंधित संगठनों का प्रतिनिधि या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम वह व्यक्ति हो जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड के निदेशक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

4. एनईआरपीसी का अध्यक्ष वर्णानुक्रम क्रम में रोटेशन द्वारा क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस विशेष राज्य से एनईआरपीसी के सदस्य अपने में से एनईआरपीसी के अध्यक्ष को नामित करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

6. समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

1. ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन का विश्लेषण करना।

2. विद्युत के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय अंतरण को सुविधाजनक बनाना।

3. सीटीयू/एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना के सभी कार्यों को सुगम बनाना।

3क- संबंधित आरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा आरपीसी के विचारों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. वार्षिक आधार पर क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्य उत्पादन कंपनियों सहित क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की आयोजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा भी करना।

5. मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के औटेज की आयोजना बनाना।

6. ग्रिड के स्थिर प्रचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित प्रचालनात्मक आयोजना अध्ययन करना।

7. प्रणाली अध्ययन समिति और संस्थापित कैपेसिटरों की निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने की आयोजना बनाना।

8. क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

7. जैसा कि एनईआरएलडीसी को समिति के एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए निरूपित किया जाएगा, एनईआरएलडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के शेड्यूलिंग और प्रेषण के संबंध में सर्वसम्मति से प्राप्त समिति के निर्णयों का पालन केंद्रीय आयोग के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाएगा।

8. इस समिति का अपना एक सचिवालय होगा जिसकी अध्यक्षता समिति के सदस्य सचिव करेंगे। सचिवालय के लिए सदस्य सचिव के साथ रण द्वारा उस तरीके सेसाथ अन्य कर्मचारियों को केंद्रीय विद्युत प्राधिक-उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि पूर्ववर्ती उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराया जा रहा था।

9. समिति अपनी बैठक के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों के लिए कार्य के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

10. समिति अपनी उपसमितियों-, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है, जिसे कुशल कामकाज के लिए आवश्यक समझा जाए। यह विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर सलाह देने के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समूह स्तर संबंधित मुद्दों की प्रकृति पर निर्भर समितियां भी स्थापित कर सकता है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधि का / करेगा।

11. एनईआरपीसी की महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी। उप समितियों, कार्यबलों, तदर्थ समितियों और ईआरपीसी की स्थायी समितियों की आवश्यकता पड़ने पर बैठक हो सकती है।

12. यह संकल्प प्रधान संकल्प दिनांक 25 मई, 2005 और तदन्तर संशोधनों दिनांक 29 नवंबर, 2005, 9 मई, 2008, 5 मई, 2017 और 21 दिसंबर, 2017 का अधिक्रमण करता है।

13. यह संकल्प राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 2021

F.No. 23/21/2021-R&R.—Sub-section (55) of section 2 of the Electricity Act, 2003 envisages the establishment of Regional Power Committees (RPCs) by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region.

2. Section 29 (4) of the Act further provides that the RPC of the region may, from time to time, agree on matters concerning the stability and smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system in that region.

3. In pursuance of the aforesaid provisions, the Central Government hereby establishes the North Eastern Regional Power Committee (NERPC) comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura with the following members:-

i. Member (Grid Operation & Distribution), Central Electricity Authority (CEA).

ii. One representative each of Central Generating Companies, Central Transmission Utility (CTU), Central Government owned Transmission Company, National Load Despatch Centre (NLDC) and the North Eastern Regional Load Despatch Centre (NERLDC).

iii. From each of the States in the region, the State Generating Company, State Transmission Utility (STU), State Load Despatch Centre (SLDC), one of the State owned distribution companies as nominated by the State Government and one distribution company by alphabetical rotation out of the private distribution companies functioning in the region.

iv. A representative each of every generating company (other than central generating companies or State Government owned generating companies) having more than 1000 MW installed capacity in the region.

v. A representative of the generating companies having power plants in the region (not covered in (ii) to (iv) above) by alphabetical rotation.

(va) A representative of one private transmission licensee, nominated by Central Government, operating the Inter State Transmission System, by alphabetical rotation out of such Transmission Licensee operating in the region.

vi. One member representing the electricity traders in the region by alphabetical rotation, which have trading volume of more than 500 million units during the previous financial year.

(via) A representative each of every Nodal Agency appointed by the Government of India for coordinating cross-border power transactions with the countries having electrical inter-connection with the region."

vii. Member Secretary, NERPC – Convenor. Wherever a member is represented by rotation, the nomination would be for a period of one year. The representative from respective organizations should be either the head of the organization or at least a person not below the rank of a Director on the Board of the company/corporate entity except for Central Public Sector Undertakings (CPSUs) where representative could also be at the level of Executive Director.

4. Chairperson of the NERPC would represent the States of the region by rotation in alphabetical order. Members of the NERPC from that particular State would nominate the Chairperson of NERPC from amongst themselves. The term of the Chairperson would be for a period of one year.

5. The Headquarters of the Committee will be located at New Delhi.

6. The Committee shall discharge following functions:

1. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
2. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
3. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.

3A- To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned RPC. The views of RPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.

4. To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.

5. To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.

6. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.

7. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.

8. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

7. As NERLDC would be represented as one of the member of the Committee, the decisions of Committee arrived at by consensus regarding operation of the regional grid and scheduling and dispatch of electricity will be followed by NERLDC subject to directions of the Central Commission, if any.

8. The Committee shall have a secretariat of its own which will be headed by the Member Secretary of the Committee. The Member Secretary as well as other staff for the secretariat shall be provided by the Central Electricity Authority in the manner as was being provided to the erstwhile North Eastern Regional Electricity Board.

9. The Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

10. The Committee may constitute its Sub-committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees, as deemed necessary for efficient functioning. It may also set up, if required, Groups / Committees of eminent experts to advise it on issues of specific nature. The level of the representative to the Sub Committees etc would depend on the nature of the issue concerned.

11. The NERPC shall meet at least once in a month. Sub Committees, Task Forces, Ad hoc Committees and Standing Committees of the NERPC could meet as and when required.

12. This Resolution supersedes the Principal Resolution dated 25th May, 2005 and subsequent amendments dated 29th November 2005, 9th May 2008, 5th May 2017 and 21st December 2017.

13. This resolution shall come into force from the date of publication in the Gazette.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232398
CG-DL-E-04012022-232398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943

विद्युत मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.12.2021 के संकल्प सं. 23/21/2021-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा 55 के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति की स्थापना की है।

2. पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 5 में, शब्द 'नई दिल्ली' को 'मुंबई पढ़ा जाए।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 23/21/2021-R&R.—Ministry of Power vide Resolution No. 23/21/2021-R&R dated 03.12.2021 has established Western Regional Power Committee under sub-section 55 of section 2 of the Electricity Act, 2003.

2. In para 5 of the aforesaid Resolution, the word "New Delhi" may be read as "Mumbai".

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.12.2021 के संकल्प सं. 23/21/2021-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा 55 के अंतर्गत दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति की स्थापना की है।

2. पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 5 में, शब्द 'नई दिल्ली' को 'बेंगलुरु' पढ़ा जाए।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 23/21/2021-R&R.—Ministry of Power vide Resolution No. 23/21/2021-R&R dated 03.12.2021 has established Southern Regional Power Committee under sub-section 55 of section 2 of the Electricity Act, 2003.

2. In para 5 of the aforesaid Resolution, the word "New Delhi" may be read as "Bengaluru".

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.12.2021 के संकल्प सं. 23/21/2021-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा 55 के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की स्थापना की है।

2. पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 5 में, शब्द 'नई दिल्ली' को 'कोलकाता' पढ़ा जाए।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 23/21/2021-R&R.—Ministry of Power vide Resolution No. 23/21/2021-R&R dated 03.12.2021 has established Eastern Regional Power Committee under sub-section 55 of section 2 of the Electricity Act, 2003.

2. In para 5 of the aforesaid Resolution, the word "New Delhi" may be read as "Kolkata".

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

सं. 23/21/2021-आरएंडआर.—विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.12.2021 के संकल्प सं. 23/21/2021-आरएंडआर द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा 55 के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की स्थापना की है।

2. पूर्वोक्त संकल्प के पैरा 5 में, शब्द 'नई दिल्ली' को 'शिलांग' पढ़ा जाए।

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th December, 2021

No. 23/21/2021-R&R.—Ministry of Power vide Resolution No. 23/21/2021-R&R dated 03.12.2021 has established North Eastern Regional Power Committee under sub-section 55 of section 2 of the Electricity Act, 2003.

2. In para 5 of the aforesaid Resolution, the word “New Delhi” may be read as “Shillong”.

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.01.04 21:54:00 +05'30'